

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण-पत्र

{आवेदन प्रपत्र के कंडिका-6 एवं 7 के आलोक में}

पत्रांक-

दिनांक-

प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदिका का नाम) की जैविक माता
..... एवं जैविक पिता का देहान्त हो चुका
है। आवेदिका के पालन पोषण का दायित्व श्री/श्रीमती
(दायित्वग्राही का नाम एवं पता)..... पता
..... को सौंपा गया है। आवेदिका
को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर